# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 62/2022

| वादीगण :— | बनाम | प्रतिवादी :— |
|---|---|---|
| 1. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रिड़मलसिंह जाति राजपूत, निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान | | 1. सरकार जरिए तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956**

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश देव अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—:निर्णय :—

दिनांक —25.05.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा छितरिया पटवार हल्का रून्दिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अटबड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 255 के खसरा नबंर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16.8300 हैक्टर की कृषि भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदारान की आयी हुई स्थित है, उक्त जमाबंदी में अंकित वादी नरेन्द्रसिंह पुत्र रिडमलसिंह व रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति वादी ही है, उक्त कृषि भूमि में वादी नरेन्द्रसिंह का 1/216 वा हक हिस्सा एवं 1/18 हक हिस्सा निहित है, वादपत्र में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में रिड़मलसिंह पुत्र राजसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा थी, जो कि जमाबंदी सम्वत 2043—47 से स्पष्ट है। वादी के पिता रिड़मलसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरण इन्द्राज किया गया, जिस वक्त वादी का राजस्व कर्मचारियों द्वारा दस्तावेजी व सही नाम नरेन्द्रसिंह इन्द्राज नही कर वादी के घर परिवार में लाड प्यार से पुकारे जाना वाला नाम रामसिंह त्रुटिवश दर्ज कर दिया, जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम नरेन्द्रसिंह ही है, तथा वक्त इन्द्राज वादी नाबालिग था, लेकिन संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी के दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना घर के नाम से पुकारे जाने वाले नाम अंकित कर दिया, जो इन्द्राज त्रुटिवश किया गया है। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में वादी का उक्त त्रुटिवश दर्ज किया गया नाम रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जी इन्द्राज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह व रामसिंह पुत्र रिडमलसिंह एक ही व्यक्ति है, जो वादी है, इसके अलावा रिड़मलसिंह के उत्तराधिकारी/वारिसान में रामसिंह का नाम अन्य कोई पुत्र नही है, अर्थात नरेन्द्रसिंह व रामसिंह दोनों ही एक ही व्यक्ति है। उपरोक्त कृषि भूमि के वर्तमान में नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 20/09/2021 को विरासत का स्वीकृत किया गया, जिसमें भी संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम नरेन्द्रसिंह ही अंकित किया गया जो

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/216 हक हिस्सा दर्ज सुदा है, जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी का वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम नरेन्द्रसिंह ही है तथा ग्राम पंचायत चण्डावलनगर द्वारा दिनांक 01/04/2022 को प्रमाण पत्र सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया कि श्री नरेन्द्रसिंह वादी एवं रामसिंह एक ही व्यक्ति है, तथा रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह के नाम से अन्य कोई व्यक्ति गांव में नही है। इसी प्रकार वादी के पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड , एसबीआई बैंक खाता पासबुक एवं ग्राम पंचायत चण्डावलनगर द्वारा जारी आवासीय पट्टा विलेख संख्या 26 दिनांक 20/04/2016 का जारी सुदा है, विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल आदि तमाम दस्तावेजात में वादी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जी ही अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी का सही व दस्तावेजी नाम अंकित नही कर सद्भाविक त्रुटिवश रामसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, मार्च 2022 में वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम नरेन्द्रसिंह के स्थान पर रामसिंह होने की जानकारी हुई, तत्पश्चात वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश दर्ज रामसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह दर्ज करने हेतु प्रतिवादी के कार्यालय में निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा न्यायालय हाजा से खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती के अभाव में त्रुटि दुरूस्त करने से इंकार किया, इसलिए वादी उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश दर्ज रामसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह से रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः यह वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि में वादी के पिता रिड़मलसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादस्थ भूमि में वादी का दस्तावेजी नाम नरेन्द्रसिंह अंकित नही कर रामसिंह दर्ज कर देने से व मार्च 2022 में वादी को वादस्थ भूमि की जमाबंदी की आवश्यकता होने से संबंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी होने से व उक्त त्रुटि को दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी के कार्यालय में निवेदन करने पर घोषणा के अभाव में इन्कार कर देने से वाद कारण ग्राम छितरिया उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम छितरिया तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का होने से न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रतिवादी तहसीलदार (भूमि धारक) होने से पक्षकार बनाया गया है तथा वादी द्वारा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का त्रुटिवश दर्ज रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह दुरूस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त त्रुटि से किसी भी अन्य सहखातेदारान के हक हिस्से पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा, इसलिए सहखातेदारान को आवश्यक नही बनाया गया है। माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि–सरहद मौजा छितरिया पटवार हल्का रून्दिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अटबड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 255 के खसरा नबंर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16. 8300 हैक्टर की कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश दर्ज रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 1/18 हक हिस्से में वादी नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह से रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश नही करने से दिनांक 25.05.2022 को जबाब दावा बन्द किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न खसरा नंबर 562, 563, 800, 802 की प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2043–47, 2051–54, 2059–62, 2063–66, 2067–70 2076–79, 2075–78 प्रमाणित प्रति म्यूटेशन संख्या 976/27.08.2021, असल ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा दिनांक 01.04.2022 को जारी प्रमाण पत्र, के आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक,, राशनकार्ड, ग्रा0प0 चण्डावल द्वारा जारी आवासीय पटटा संख्या 26 की फोटोप्रतिया, विधुत बिल की फोटो प्रति, असल सह खातेदार के शपथ पत्र पेश किए, सामिल मिसल है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा छितरिया पटवार हल्का रून्दिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 255 के खसरा नबंर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16. 8300 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित न कर रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दर्ज कर दिया, जिसे वादी पुनः रेकर्ड दुरूस्त करवा कर नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह करवाने का अधिकारी है। अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

**हमने** पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा ग्राम छितरीया की जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054, 2059–2062, 2063– 2066, 2067 – 2070 में वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नम्बर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16.8300 में रिडमलसिंह के विधिक वारिसान क्रमश सुरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, रामसिंह पिता रिडमलसिह हिस्सा 1/6 दर्ज सुदा है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 27.08.2021 दर्ज करते समय सेवन से रिडमलसिंह के वारिसान के रूप में नरेन्द्रसिह के स्थान पर रामसिंह दर्ज कर दिया गया। ग्राम पंचायत चण्डावल नगर ने भी प्रमाण पत्र जारी कर नरेन्द्रसिंह व रामसिंह एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। जमाबन्दी प्रतिलिपि सम्वत 2075–2078 में वादी का नाम सही रूप से नरेन्द्रसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपुत दर्ज शुदा है। जिससे वादपत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

## –: आदेश :–

अतः वादी कां वाद स्वीकार कर डिकी इस अमर सादिर की जाती है कि है सरहद मौजा छितरिया पटवार हल्का रून्दिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 255 के खसरा नबंर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16.8300 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह **के स्थान पर** नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। दुरूस्त प्रविष्टी दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादी :–

1. **नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रिड़मलसिंह जाति राजपूत, निवासी चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान**

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :– 62/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा छितरिया पटवार हल्का रून्दिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अटबड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 255 के खसरा नबंर 562 रकबा 3.3400 हैक्टर, खसरा नबंर 563 रकबा 9.3300 हैक्टर, खसरा नबंर 800 रकबा 1.7800 हैक्टर, खसरा नबंर 802 रकबा 2.3800 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 16.8300 हैक्टर **की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड** रामसिंह पुत्र रिड़मलसिंह **के स्थान पर** नरेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह **दुरूस्त** दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25/05/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |